राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर, राजस्थान

क्रमांक : जिशिअ/प्राशि/जोधपुर/मान्यता/आरटीई/2013/ला-62/08/695 दिनांक : 2/8/13

<u>स्व घोषणा पत्र के आधार पर मान्यता अनुज्ञा पत्र</u>

सचिव/अध्यक्ष,
चौपासनी शिक्षा समिति,
जोधपुर।

विषय :–नियम 8-ए के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के मान्यता अनुज्ञा प्रमाण पत्र जारी करने बाबत्।

महोदय/महोदया,

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प–9(2) शिक्षा–5/05 पार्ट दिनांक 07.06.13 की अनुपालना में, आपके द्वारा प्रस्तुत स्व घोषणा पत्र के आधार पर मान्यता अनुज्ञा पत्रविद्यालय के पत्र–व्यवहार/ निरीक्षण के संबंध में श्री हनवन्त इंग्लिश माध्यम स्कूल चौपासनी जोधपुर (विद्यालय का नाम व पता) अस्थाई मान्यता <u>प्राथमिक/उप्राथि</u> स्तर तक तीन वर्ष की अवधि <u>01.07.13</u> से <u>30.6.16</u> तक माध्यम <u>हिन्दी/अंग्रेजी</u> में संचालन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

निम्नलिखित दशाओं की पूर्ति उपर्युक्त स्वीकृति के अधीन की जाती है:–

1. मान्यता की स्वीकृति कक्षा आठ से अधिक नहीं बढाई जाती है।
2. विद्यालय द्वारा "बच्चों को शिक्षा के अधिकार" एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (केन्द्र की धारा 35/2009) एवं राजस्थान में बच्चों की मुफ्त शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा नियम 2011 के अधीन पालना की जायेगी।
3. धारा 2009 के विस्तार में विद्यालय द्वारा स्वीकार किया जायेगा कि कक्षा एक या कक्षा एक से पूर्व जैसा भी प्रकरण हो, कक्षा की समुचित संख्या में से कमजोर वर्ग के बच्चों और वंचित रहें समूह के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उनकी शिक्षा प्राप्ति तक दी जानी है।
4. अवतरण तीन में सन्दर्भित बच्चों को विद्यालय द्वारा राजस्थान में बच्चों की मुफ्त शिक्षा के अधिकार और अनिवार्य शिक्षा नियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय द्वारा अलग से बैंक मे खाता संधारित किया जायेगा।
5. संस्था/विद्यालय द्वारा कोई प्रतिव्यक्ति शुल्क और बच्चें और माता–पिता का कोई साक्षात्कार (बच्चें के प्रवेश के लिए) नहीं लिया जायेगा।
6. विद्यालय किसी भी बच्चें की आयु संबंधी प्रमाण की कमी के आधार पर बच्चे के प्रवेश के लिए मना नहीं करेगा और अधिनियम 2009 की धारा 15 के प्रावधानों पर अडिग रहेगा। विद्यालय यकीन करेगा कि–
   (i) किसी भी बच्चें को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने तक न तो किसी कक्षा में रोका जायेगा, न ही विद्यालय से बाहर किया जायेगा।
   (ii) किसी भी बच्चें को न तो मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जायेगा और न ही शारीरिक रूप से सजा दी जायेगी।
   (iii) किसी भी बच्चें के लिए प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक उत्तीर्ण होने के लिए बोर्ड की परीक्षा निर्धारित नहीं की जायेगी।
   (iv) प्रत्येक बच्चें की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने पर, उसे पारितोषिक प्रमाण पत्र के रूप में राजस्थान में बच्चों के मुफ्त शिक्षा के अधिकार एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2011 की धारा 23 के प्रावधानों के अनुसार दिया जायेगा।
   (v) अशक्तता/विशेष आवश्यकता वालों विद्यार्थियों को अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार सम्मिलित किया जायेगा।
   (vi) अध्यापकों को न्यूनतम प्रशैक्षिक योग्यता अधिनियम 2009 की धारा 23 के उपनियम (1) पर निर्धारित दायरे में नियुक्त दी जानी है।
   बशर्ते कि वर्तमान अध्यापक जो अधिनियम 2009 की घोषणा तक न्यूनतम योग्यता धारित न हो तो वह कम से कम पाँच वर्ष की अवधि में योग्यता अधिनियम 2009 की धारा 23 के प्रावधानों के अनसार पर्ण करेगा।

8. अधिनियम, 2009 की धारा 19 के अनुरूप विद्यालय अपना स्तर और मापदण्ड कायम रखेगा। सुविधाएँ अन्तिम निरीक्षण के समय तक दी जाती है, जो इस प्रकार हैः–

क्र0सं0	विवरण	पत्रावली संख्या
1	विद्यालय परिसर का क्षेत्र	संलग्न
2	कुल निर्मित क्षेत्र	संलग्न
3	खेलकूद के मैदान का क्षेत्र	संलग्न
4	कक्षा–कक्षों की संख्या	संलग्न
5	प्रधानाध्यापक मय भण्डार कक्ष	संलग्न
6	छात्र–छात्रों के लिए अलग शौचालय	संलग्न
7	पीने के पानी की सुविधा	संलग्न
8	मिड–डे–मिल भोजन पकाने की रसोई	संलग्न
9	व्यवधान रहित आवागमन	संलग्न
10	शिक्षण सिखलाई संबंधी उपकरणों / खेलकूद के उपकरणों / पुस्तकालय की उपलब्धता	संलग्न

9. एक ही विद्यालय के नाम से विद्यालय के बाहर या अन्दर किसी भी प्रकार की अधिकृत प्रावधानों के खिलाफ (अनाधिकृत) कक्षाएँ नहीं चलाई जायेगी।
10. विद्यालय भवन या अन्य निर्मित ढांचा या मैदान का शिक्षा के उद्देश्य के लिए प्रयोग और कौशल विकास के लिए प्रयोग किया जाना है।
11. विद्यालय संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 (केन्द्र के अधिनियम 1860 की धारा 21), राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 (1958 की धारा 28) या एक सार्वजनिक न्यास जो कुछ समय के लिए कानूनन बनाई गई हो, के अधीन कार्य करेगा।
12. विद्यालय किसी भी व्यक्तिगत/समूह या व्यक्तिगत संस्था या अन्य कोई व्यक्ति विशेष के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा।
13. विद्यालय के लेखा–जोखा का अंकेक्षण किया जाना चाहिए और चार्टड एकाउण्टेण्ट द्वारा उचित लेखा सूची को नियमानुसार प्रमाणित करवाया जाना चाहिए। प्रत्येक प्रमाणित लेखा सूची की प्रति जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा को प्रतिवर्ष भिजवायी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को निम्नलिखित मान्यता क्रमांक प्रदत्त किया जाता है। यह कृपया ध्यान मे लाया जाए कि कार्यालय से किये गये प्रत्येक पत्र व्यवहार में भी इसका उल्लेख किया जाए।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचनाएँ संधारित रखेगा जो निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा समय समय पर मांगी जाती है। साथ ही, भारत सरकार/स्थानीय अधिकारियों के द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना करने की अवस्था में ही मान्यता दी जानी या रद्द की जानी निर्भर करती है।
16. संस्था के पंजीकरण का नवीनीकरण अनिवार्यतः समय–समय पर किया जाना है।
17. अन्य शर्तें संलग्नित प्रदर्श के अनुसार हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर

क्रमांक : जिशिअ/प्राशि/जोधपुर/मान्यता/आरटीई/2013/W-03/04 695

दिनांक : 8.9.13

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ –

1. श्रीमान निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. श्रीमान उपनिदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, जोधपुर मण्डल, जोधपुर।
3. श्रीमान ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति ओसिया/बावडी/बालेसर/ओसिया/मण्डोर/फलोदी/बाप/लूणी/बिलाडा/भोपालगढ/जोधपुर।
4. सचिव/अध्यक्ष चौपासनी शिक्षा समिति,जोधपुर।
5. कार्यालय पंजिका।

PRINCIPAL
SH. HANWANT SR. SEC. SCH. (E/M
CHOPASNI, JODHPUR
SCHOOL CODE - 117033

जिला शिक्षा अधिकारी

विद्यालय - Shri Hanwant Senior Secondary English Medium Schoo (P20825)

मान्यता कोड : RJJDP30958

आवेदन क्रमांक : 37545

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक(प्रथम/द्वितीय)JODHPUR , राजस्थान

क्रमांक: 4653

दिनांक 10/02/2021

सचिव

प्रबंध समिति

Shri Hanwant Senior Secondary English Medium School Chopasni Jodhpur

विषय - राजस्थान गैरसरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के नियम 5 के उपनियम (8) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता क्रमोन्नति एवं अन्य हेतु प्रमाणपत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 37545 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, Shri Hanwant Senior Secondary English Medium School Chopasni Jodhpur पता Chopasni School campus,Chopasni Jodhpur ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय NN JODHPUR ब्लॉक JODHPUR CITY को शैक्षणिक सत्र 2020-21 से निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ:-

अतिरिक्त संकाय के लिए विवरण	
पूर्व मान्यता के अनुसार कक्षा 11 एवं 12 में संचालित संकाय का विवरण	
विज्ञान संकाय	Physics (Science Stream), Chemistry (Science Stream), Biology (Science Stream), Mathematics (Science Stream), Agriculture Science (Science Stream)
वाणिज्य संकाय	Commerce (Accountancy), Commerce (Business Studies), Economics (Commerce Stream), Computer Science
स्वीकृत अतिरिक्त संकाय का विवरण	
कला संकाय	English Literature, Geography, History, Home Science, Political Science
कृषि संकाय	Agriculture Science (Agriculture Stream), Biology (Agriculture Stream), Chemistry (Agriculture Stream), Physics (Agriculture Stream)

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर

PRINCIPAL
SHRI HANWANT SR. SEC. SCH. (E/M)
CHOPASNI, JODHPUR

1. विद्यालय, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता,——सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के उपबन्धों का पालन करेगा।
2. विद्यालय कक्षा1 से 8 तक की शिक्षा के सम्बन्ध में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समयसमय पर प्रसारित नियमों/आदेशों/निर्देशों का अनिवार्यत पालन करना होगा तथा वांछित सूचनाऐं/अभिलेख अविलम्ब उपलब्ध करवाने होंगे।
4. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर अथवा विभागीय निरीक्षण के समय विद्यालय के लिए निर्धारित मापदण्ड (भौतिक एवं वित्तीय) मय किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर मान्यता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।
5. विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नही की जाएगी।
6. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के मान्यता सम्बन्धित विनियमों की पालना करनी होगी एवं मान्यता प्रप्ति के बाद विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से सम्बद्धता हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदन करना होगा।
7. विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन इत्यादि विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से स्वीकृति प्राप्त कर ही किए जाऐंगे।
8. विद्यालय को दी जा रही मान्यता के अनुसार उसी सत्र में कक्षाऐं प्रारम्भ करनी होंगी, मान्यता के अनुसार उस सत्र में——कक्षाऐं संचालित नहीं होने पर मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
9. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति होने पर मान्यता के वर्ष में ही कक्षा9 के साथ कक्षा 10/कक्षा11 के साथ कक्षा 12 उसी स्थिति में चलाई जा सकती है, जब इसकी स्वीकृति मान्यता प्रमाणपत्र में दी गई हो।

10. विद्यालय को यह मान्यता शासन के पत्र क्रमांक प.9(1)शिक्षा-5/भूमि रूपान्तरण/2016 दिनांक 25.11.2020 एवं दिनांक 12.01.2021 के अनुसरण में शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए अस्थायी रूप से निम्न शर्तो के अध्यधीन दी जाती है

(i) शैक्षिक सत्र 2020-21 एवं इससे पूर्व के सत्रो से स्वयं के भवन अथवा पंजीकृत किराएनामे के आधार पर किराए के भवन में संचालित मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भूरूपान्तरण की अनिवार्यता में शिथिलन प्रदान करते हुए आगामी 3 वर्ष (शैक्षिक सत्र 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23) की अवधि तक अस्थायी छूट प्रदान कर उक्त स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त समयावधि में संस्था को शैक्षणिक/संस्थानिक रूपान्तरित भूमि पर भवन बनाकर संस्था को स्थानान्तरित करना आवश्यक होगा, अन्यथा संस्था को दी गई मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जावेगी। उक्त अवधि समाप्ति के बाद संस्था को भूरूपान्तरण में किसी भी प्रकार का शिथिलन नहीं दिया जावेगा।
(ii) इस अवधि में नियमानुसार भूमि रूपांतरण करवा कर भूमि रूपांतरण के दस्तावेज सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
(iii) निर्धारित अवधि में नियमानुसार भूमि रूपांतरण नहीं होने पर मान्यता प्रभावी नही रहेगी तथा इन कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा।
(iv) विद्यालय द्वारा इस आशय का परिवाचन (Undertaking) क्षतिपूर्ति बंध पत्र शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

PRINCIPAL
SHRI HANWANT SR. SEC. SCH. (E/M
CHOPASNI, JODHPUR
SCHOOL CODE - 117033

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर

कार्यालय चौपासनी शिक्षा समिति, चौपासनी, जोधपुर

मो.न. :– 86196-76200 ईमेल :– chopasni.100yrs@gmail.com

क्रमांक – चौ.शि.स. / जोध / 2022–23 / 1007 दिनांक – 07.12.2022

श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी
शिक्षा विभाग, जोधपुर।

विषय – श्री हनवन्त सीनियर सैकण्डरी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, जोधपुर के अस्थाई मान्यता के क्रम में भूमि रूपान्तरण के बाबत।

मान्वयर,

उपरोक्त विषय अन्तर्गत लेख है कि श्री हनवन्त सीनियर सैकण्डरी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय को अस्थाई मान्यता शासन के पत्र क्रमांक प्र 9(1) शिक्षा–5 / भूमि रूपान्तरण / 2016 दिनांक 25.11.2022 एवं 12.01.2021 के अनुसरण में शैक्षिक सत्र 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 तीन वर्ष की अवधि तक अस्थायी छूट प्रदान की गई थी। अतः इस बाबत भूमि रूपान्तरण संबंधी दस्तावेज अग्रीम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

मानद सचिव
चौपासनी शिक्षा समिति
चौपासनी, जोधपुर

मानद सचिव
चौपासनी शिक्षा समिति
चौपासनी जोधपुर।